



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 136]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 1992/चैत्र 7, 1914

No. 136]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 1992/CHAITRA 7, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1992

सा.का.नि. 368(अ).—जबकि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय), नियम 1950 में संशोधन करने के लिए तारीख 14 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की तारीख 3 दिसम्बर, 1991 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 698 में कतिपय प्राप्ति नियम प्रकाशित किये गये थे, जिनमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत के राजपत्र, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, की प्रतियां आम जनता को उपलब्ध कराये जाने की तारीख से 45 दिनों की अवधि के समाप्ति होने तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गये थे।

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां आम जनता को 15 दिसम्बर, 1991 को उपलब्ध करा दी गई थी।

और जबकि उन व्यक्तियों से जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 95 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के बाद कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों को कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) प्रथम संशोधन नियम 1992 कहा जाए।

(2) ये नियम 1 अप्रैल, 1992 से प्रभावी होंगे।

2. कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में:—

(1) नियम 50 तथा इसके उपबन्ध में "एक हजार तथा छः सौ" शब्दों के स्थान पर "तीन हजार" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(2) नियम 51 में:—

(1) खण्ड (क) में "पांच प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "चार प्रतिशत" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) खण्ड (ख) में "2-1/4 प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "1-1/2 प्रतिशत" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(3) सारणी के नियम 54 में,

(1) क्रमांक 8 के सामने "48 रु. और इससे अधिक" शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर "48 रु. या इससे अधिक लेकिन 64 रु. से कम" का स्थापित किया जाए;

(2) क्रमांक 8 और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रमांक तथा प्रविष्टियां शामिल की जाएं, अर्थात्:—

9. 64 रु. या इससे अधिक लेकिन 80 रु. से कम	36.00
10. 80 रु. या इससे अधिक लेकिन 96 रु. से कम	44.00
11. 96 रु. या इससे अधिक	53.00

[फाइल सं. एस-38025/46/90-एस एस-1]

पी.सी.होता, अपर सचिव

पाठ टिप्पणी:—मुख्य नियमावली भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखण्ड (i) में श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.आर.ओ. 212, दिनांक 22-6-1950 द्वारा अधिसूचित की गई थी और यह नियमावली निम्नलिखित अधिसूचनाओं के माध्यम से संशोधित की गई।

1. सा.का.आ. सं. 80 दिनांक 9-1-1960
2. सा.का.आ. सं. 1200 दिनांक 27-9-1960
3. सा.का.आ. सं. 594 दिनांक 29-3-1963
4. सा.का.आ. सं. 240 दिनांक 6-2-1964
5. सा.का.आ. सं. 1834 दिनांक 18-12-1964
6. सा.का.आ. सं. 474 दिनांक 19-3-1965
7. सा.का.आ. सं. 1082 दिनांक 29-6-1966
8. सा.का.आ. सं. 545 दिनांक 14-4-1967
9. सा.का.आ. सं. 500 दिनांक 6-3-1968
10. सा.का.आ. सं. 677 दिनांक 29-3-1968

11. सा.का.आ. सं. 1106 दिनांक 22-5-1968
12. सा.का.आ. सं. 2113 दिनांक 29-11-1968
13. सा.का.आ. सं. 306 दिनांक 7-3-1974
14. सा.का.आ. सं. 1122 दिनांक 1-10-1974
15. सा.का.आ. सं. 56 दिनांक 23-12-1976
16. सा.का.आ. सं. 60 दिनांक 5-1-1982
17. सा.का.आ. सं. 129 दिनांक 9-2-1987
18. सा.का.आ. सं. 199 दिनांक 6-3-1990
19. सा.का.आ. सं. 76 दिनांक 22-1-1991

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 1992

G.S.R. 368(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 were published, as required under sub-section (1) of section 95 of the Employees State Insurance Act, 1948. (34 of 1948), in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. GSR 698 dated the 3rd December, 1991 in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) dated the 14th December, 1991 inviting suggestions and objections from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India, in which the said notification was published, were made available to the public;

And Whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 15th December, 1991;

And Whereas, objections and suggestions received from persons likely to be affected thereby have been considered by the Government.

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by section 95 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Employee's State Insurance Corporation, hereby makes the following rules further to amend the Employee's State Insurance (Central) Rules, 1950, namely:—

1. (1) The Rules may be called the Employee's State Insurance (Central) First Amendment Rules, 1992.

(2) They shall come into force with effect from 1st April, 1992.

2. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950:—

(1) in rule 50 and in its proviso, for the words "one thousand and six hundred", the words "three thousand" shall be substituted;

(2) in rule 51,

(i) in clause (a), for the words "five per cent", the words "four per cent" shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the words "two and one fourth per cent", the words "one and one half per cent" shall be substituted;

(3) in rule 54, in the TABLE,

(i) against serial number 8, for the words and figures "Rs. 48 and above", the words and figures "Rs. 48 and above but below Rs. 64" shall be substituted;

(ii) after serial number 8 and entries relating thereto the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"9. Rs. 64 and above but below Rs. 80 36.00

10. Rs. 80 and above but below Rs. 96 44.00

11. Rs. 96 and above 53.00

[F. No. S-38025/46/90-SS.I]

P. C. HOTA, Addl. Secy.

FOOT NOTE : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide Government of India, Ministry of Labour Notification No. SRO 212,

dated 22-6-1950, and subsequently amended by the following notifications :—

1. GSR No. 80 dt. 9-1-1960
2. GSR No. 1206 dt. 27-9-1960
3. GSR No. 594 dt. 29-3-1963
4. GSR No. 240 dt. 6-2-1964
5. GSR No. 1834 dt. 18-12-1964
6. GSR No. 474 dt. 19-3-1965
7. GSR No. 1082 dt. 29-6-1966
8. GSR No. 545 dt. 14-4-67
9. GSR No. 500 dt. 6-3-1968
10. GSR No. 677 dt. 29-3-1968
11. GSR No. 1106 dt. 22-5-1968
12. GSR No. 2113 dt. 28-11-1968
13. GSR No. 306 dt. 7-3-1974
14. GSR No. 1122 dt. 1-10-1974
15. GSR No. 56 dt. 23-12-1976
16. GSR No. 60 dt. 5-1-1982
17. GSR No. 129 dt. 9-2-1987
18. GSR No. 199 dt. 6-3-1990
19. GSR No. 76 dt. 22-1-1991

